

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 16/2025- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. (अ)- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतत्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 19 के समक्ष, स्तंभ (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

- (i) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्मस ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ;
या
- (ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्मस ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण
सेवाएँ।”;
- (ii) क्रम संख्या 37घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उससे
संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37ग	शीर्ष 9971	<p>बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है।</p> <p>[कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें]</p> <p>स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि:</p> <p>क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति और उसका परिवार है।</p> <p>ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।</p>	शून्य	शून्य
37घ	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है।	शून्य	शून्य

		<p>[कृपया पैरा 2 में खंड (जैडएफबी) देखें]</p> <p>स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि:</p> <p>क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहां बीमित एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति और उसका परिवार है।</p> <p>ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।</p>		
37क	शीर्ष 9971	क्रम संख्या 37ग या 37घ में निर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा।	शून्य	शून्य

(ख) पैरा 2 में,

(i) खंड (जैडई) के स्थान पर निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

“(जैडई) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सङ्क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से जात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ॲपरेटर जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ॲपरेटर जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं;

(ii) खंड (जैडएफए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडएफबी) ऊपर तालिका में क्रम संख्या 37ग और 37घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, ‘समूह’ का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो बीमा प्राप्त करने के बजाय एक समान उद्देश्य से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें शामिल हैं:

क. नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू कानूनों के अनुसार, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;

ख. गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के बजाय अन्य सेवाओं/गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध विद्यमान हो।”;

(iii) खंड (जैडजी) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(जैडजीए) ‘स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय’ का अर्थ ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन है जो रुग्णता लाभ या चिकित्सा, शन्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं;”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं.190341/188/2025-TRU]

(मो. आदिल अशरफ)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 9/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा

प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 06/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 42(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।